छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर

क्रमांक 269 / स.सा.प्र.वि. / 2020 अटल नगर, नवा रायपुर दिनांक 22 / 05 / 2020

/ / आदेश / /

विदेश से लौट रहे छत्तीसगढ़ के निवासीगण जो घरेलू उड़ान / सड़क मार्ग से राज्य में पहुँच रहे हैं, के द्वारा निम्नानुसार SOP का पालन किया जाना अनिवार्य होगाः—

1. विदेश से छत्तीसगढ़ लौटने के इच्छुक लोगों को संबंधित देश से प्रस्थान के पूर्व स्वयं को राज्य के पोर्टल http://epass.cgcovid19.in/ पर पंजीकृत कराना होगा।
2. राज्य नोडल अधिकारी के माध्यम से एयरलाइन्स इत्यादि से समन्वय स्थापित कर संबंधित यात्रियों का ब्यौरा संकलित किया जाकर उक्त जानकारी को जिलेवार पृथक कर संबंधित जिला कलेक्टर को भेजा जायेगा।
3. राज्य के बाहर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट (जैस—नागपुर, इन्दौर, आदि) पर रायपुर हेतु उड़ान सुविधा न होने की स्थिति में समूह के रूप में स्वयं के व्यय पर राज्य तक लाने हेतु परिवहन व्यवस्था हेतु राज्य नोडल अधिकारी वांछित सहायता प्रदान करेंगे। वाहन हेतु ई—पास गृह विभाग की अनुमति से नियमानुसार जारी किया जायेगा।
4. भारत में पहुंचने के उपरांत यदि यात्री द्वारा 14 दिवस का क्वारान्टाईन राज्य के बाहर पूर्ण किया जा चुका है, और, इस आशय का प्रमाण पत्र संबंधित के पास उपलब्ध हो, तो राज्य में पहुंचने पर उन्हे होम क्वारेंटीन किया जायेगा। पूर्व में क्वारेंटीन न होने वाले यात्रियों को निर्धारित व्यवस्था अनुसार फेसिलिटी / पेड क्वारेंटीन किया जाएगा।

एअरपोर्ट पर व्यवस्थाः

5. रायपुर नगर निगम कमिश्नर द्वारा एअरपोर्ट अथॉरिटी एवं रायपुर पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करते हुए स्वामी विवेकानंद एअरपोर्ट, रायपुर में समुचित संख्या में सुविधा केंद्र स्थापित करेंगे। इन सुविधा केन्द्रों में आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण हेतु हेल्थ डेस्क भी रहेंगे जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित किये जायेंगे।
6. स्वामी विवेकानंद एअरपोर्ट रायपुर में लैंडिंग के पश्चात् यात्री फ्लाइट से नियंत्रित रूप से बाहर निकलेंगे (एक बैच में 20 यात्री) और हैण्ड बैगेज के साथ सुविधा केंद्र पहुचेंगे जहाँ उनके द्वारा आवश्यक विवरण संलग्न प्रारूप (संलग्नक—1) अनुसार दर्ज किया जायेगा जिसके पश्चात उनकी थर्मल स्क्रीनिंग सहित स्वास्थ्य जांच की जाएगी।
7. लक्षण के साथ पाए गए यात्रियों को अलग कर एअरपोर्ट पर पृथक से स्थापित किये गये आइसोलेशन कियोस्क में भेजा जायेगा जहाँ उनका सैंपल लेकर उन्हें जिला प्रशासन द्वारा स्थापित आइसोलेशन केंद्र में भेज दिया जायेगा। ऐसे यात्रियों का चेक—इन बैगेज कन्वेयर बेल्ट से संकलित कर उन्ही की एम्बुलेंस या डेडिकेटेड वाहन तक पहुँचाने का उत्तरदायित्व संबंधित एयरलाइन के ग्राउंड स्टाफ का होगा।
8. सभी यात्रियों के हैण्डबैगेज / चेकइन बैगेज पर नगर निगम द्वारा कीटाणुनाशक घोल का छिड़काव किया जायेगा।
9. लक्षण रहित यात्रियों को रायपुर नगर निगम द्वारा निर्धारित पेड क्वारेंटीन केन्द्र में ही रहना होगा। ये सभी यात्री लिखित में यह अंडर टेकिंग जमा करेंगे कि वे 14 दिन तक क्वारेंटीन के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे तथा इस संबंध में रूकने, खाने आदि का व्यय संबंधित यात्री स्वयं वहन करेंगे। 14 दिन की अवधि के पश्चात् कोविड—19 जांच परिणाम निगेटिव आने के बाद ही उन्हें पेड क्वारेंटीन केन्द्र से मुक्त किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

परिवहन व्यवस्थाः

10. यात्रियों के बोर्डिंग पास तथा वाहन चालक के ई–पास के आधार पर ही उन्हें एअरपोर्ट परिसर में आवागमन की अनुमति प्रदान की जाएगी। प्रत्येक वाहन का विवरण, चालक एवं यात्री की सम्पूर्ण जानकारी (नाम, पता, मोबाइल नंबर, वाहन नंबर इत्यादि) की जानकारी परिवहन विभाग द्वारा संधारित की जाएगी। एअरपोर्ट पर चिन्हित टैक्सी/निजी वाहन को ई–पास अनुमति दी जायेगी।

सड़क मार्ग से आने वाले व्यक्तियों हेतु

11. भारत की सीमावर्ती देशों (नेपाल, भूटान इत्यादि) से सड़क मार्ग से आने वाले व्यक्तियों के छत्तीसगढ़ में प्रवेश से पूर्व संबंधित सीमावर्ती राज्य (उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि) से उनका सम्पूर्ण ब्यौरा राज्य नोडल अधिकारी द्वारा संकलित किया जायेगा। वाहन एवं यात्रियों हेतु ई–पास की अनिवार्यता होगी। आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ एवं परिवहन आयुक्त द्वारा उक्त व्यक्तियों की आवासीय तथा परिवहन व्यवस्था हेतु राज्य नोडल अधिकारी को आवश्यक सहयोग प्रदाय किया जायेगा जिसका व्यय उक्त यात्रियों द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
12. ट्रेन के माध्यम से आने पर भी संबंधित यात्रियों को नियमानुसार पेड क्वारेंटीन में रहना अनिवार्य होगा। इस संबंध में उनके द्वारा रेलवे स्टेशन पर सुविधा केन्द्र में उपस्थिति दर्ज कराई जायेगी।

क्वारेंटीन केंद्र की मॉनिटरिंग

13. पेड क्वारेंटीन केंद्र की सतत निगरानी एवं सुरक्षा हेतु समस्त व्यवस्था रायपुर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
14. पेड क्वारेंटीन केंद्र के समस्त स्टाफ के इन्फेक्शन कण्ट्रोल, बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन इत्यादि के संदर्भ में प्रशिक्षण की व्यवस्था मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से जिला प्रशासन रायपुर द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
15. यदि पेड क्वारेंटीन में रह रहे यात्रियों में से किसी यात्री को लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं तो तत्काल उसकी सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर को दी जाएगी। चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार आवश्यकता होने पर उस यात्री को तत्काल जिले के आइसोलेशन केंद्र में स्थानांतरित किया जायेगा।
16. क्वारेंटीन के दिशा–निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में उसकी सूचना मिलने पर जिलाधीश द्वारा संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश कमांक 238/स.सा.प्र.वि./2020 दिनांक 09.05.2020 के माध्यम से श्री अरूण देव गौतम, सचिव, गृह विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली से समन्वय हेतु राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है जो इस कार्य हेतु विदेश मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार से सभी आवश्यक समन्वय करेंगे तथा जिला कलेक्टर एवं विभिन्न विभाग को आने वाले यात्रियों की जानकारी प्रदान करेंगे। राज्य से बाहर समन्वय हेतु आवासीय आयुक्त इनका आवश्यक सहयोग करेंगे।

(डॉ. कमलप्रीत सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

Scanned with CamScanner

पृ.क्रमांकः 269–A /स.सा.प्र.वि./202 अटल नगर, नवा रायपुर दिनांक 22/05/2020
प्रतिलिपिः–

1. गृह सचिव, भारत सरकार,
2. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर,
3. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
4. प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय, जीरो पाईंट रायपुर,
5. विशेष सहायक/निज सहायक, समस्त मान. मंत्रीगण, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
6. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
7. संयुक्त सचिव एवं नोडल अधिकारी, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार,
8. रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
9. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
10. समस्त विभागाध्यक्ष,
11. मंडल रेल प्रबंधक, रायपुर, बिलासपुर,
12. समस्त संभागायुक्त/ पुलिस महानिरीक्षक,
13. समस्त कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक,
14. निदेशक, स्वामी विवेकानंद एअरपोर्ट, रायपुर,
15. समस्त नगर निगम आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
16. समस्त सीईओ, जिला पंचायत,
17. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

Scanned with CamScanner

संलग्नक–1

स. क्र.	यात्री का नाम	रायपुर आगमन फ्लाईट नंबर/तिथि	पासपोर्ट नंबर	मोबाईल नंबर	पता		भारत में आगमन फ्लाईट नंबर/ तिथि
					छत्तीसगढ़ में	विदेश में	

Scanned with CamScanner